



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 503) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2026

प्र0-I-रा0(आ0)-03/2026-3135

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

13 मई 2026

विभागीय आदेश ज्ञापांक 1635 दिनांक 27.02.2026 के आदेश के आलोक में जाँच दल के सदस्यों द्वारा 03 धावा दल का गठन कर दिनांक 28.02.2026 को किशनगंज जिलान्तर्गत बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की जाँच की गई। उक्त जाँच में धावा दल-1 के द्वारा 04 हाईवा एवं 03 पोकलेन मशीन, धावा दल-2 द्वारा 02 हाईवा, 01 पोकलेन एवं ट्रैक्टर डोजर तथा धावा दल-03 द्वारा 02 ट्रैक्टर को घूस मिट्टी/बालू का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। उक्त के बावत शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य के रूप में चालक/मालिक एवं अवैधखननकर्ताओं पर कुल जुर्माना 118.85 लाख रुपये एवं बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के आलोक में संबंधित बालू बंदोबस्तधारी पर 25.81 लाख रुपया जुर्माना अधिरोपित किया गया है। किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की जाँच Satellite Imagery में बालूघाटों के निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र के बाहर खनन प्रदर्शित पाये जाने के मामले की जाँच एवं कृत कार्यवाई संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक 2095 दिनांक 21.03.2026 से समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। इतने बड़े स्तर पर बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्यवाई नहीं की जा रही थी तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया जा रहा था। उनका यह कृत्य अवैध खननकर्ताओं/भंडारणकर्ता/परिवहनकर्ताओं से मिली भगत को परिलक्षित करता है एवं उनके द्वारा सरकारी राजस्व के साथ-साथ पर्यावरण की क्षति पहुँचाई गई है।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-20/2026 दिनांक 10.02.2026 में दिनांक 17.02.2026 को घूस लेते हुए रंगे हाथों जिला खनन कार्यालय, किशनगंज के लिपिक एवं कार्यालय परिचारी को गिरफ्तार किया गया। प्रासंगिक मामले की जाँच विभागीय जाँच दल द्वारा करायी गयी, जिसमें पाया गया कि ट्रैक्टर संख्या-BR37GA-9161 के साथ-साथ कुल 271 जप्त वाहनों में से 46 वाहनों का ससमय राज्यसात हेतु प्रतिवेदन समाहर्ता, किशनगंज को नहीं भेजा गया, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-56(3) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उनके अधीनस्थ कर्मियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाये जाने से स्पष्ट है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है। साथ ही

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उनका कर्मियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने में सहभागिता है। साथ ही उनका कृत्य बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण, निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित के नियम-56(3) एवं 56(4) का उल्लंघन है।

3. श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरती गयी है, जबकि इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं VC के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु सार्थक कार्रवाई के लिए निदेशित किया जाता रहा है। श्री प्रणव कुमार प्रभाकर का यह कृत्य सरकारी सेवक के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ) को इस कृत्य हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
 4. निलंबन अवधि में श्री प्रणव कुमार प्रभाकर का मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।
 5. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
 6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय, तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 503-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>